

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2020/1935


दिनांक: 21-2-2022

आदेश

वर्तमान में विभागीय आदेश क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2020 दिनांक: 11.01.2021 द्वारा श्री फिरोज खान, अधिवक्ता (रजि. नं. आर/1913/2013) नगर परिषद् बालोतरा जिला-बाड़मेर में पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासनिक कारणों से श्री फिरोज खान अधिवक्ता को नगर परिषद् बालोतरा जिला-बाड़मेर से तुरन्त प्रभाव से हटाकर नगर पालिका सांचोर जिला जालोर के विरुद्ध विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका सांचोर जिला-जालोर से नियमानुसार देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हर्देश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सांचेर
दिनांक: 21-2-2022

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2020/1936-1946

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
5. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद् बालोतरा जिला बाड़मेर।
6. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी, नगर पालिका सांचोर जिला जालोर।
7. श्री फिरोज खान, अधिवक्ता मार्फत नगर परिषद् बालोतरा जिला बाड़मेर।
8. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी